

कार्यालय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रैडकॉस सोसायटी  
शिमला जिला शिमला हि0प्र0


क्रमांक:रैडकॉस शिमला/2019

दिनांक:-

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिमला समर फेस्टीवल के दौरान जिला रैडकॉस सोसायटी हेतु धनराशि अर्णित करने के उद्देश्य से तम्बोला का संचालन खुली बोली के आधार पर किया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से अनुरोध है कि वह तम्बोला के संचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन रु0 30000/ (केवल तीस हजार) बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति राशि जो उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रैडकॉस सोसायटी के नाम देय हो के साथ दिनांक:-31/05/2019 को प्रातः 11 बजे तक सचिव जिला रैडकॉस सोसायटी के कार्यालय में जमा करवाएं। बोली की प्रक्रिया उसी दिन 11:30 बजे रोजना हॉल उपायुक्त कार्यालय शिमला में की जाएगी। जिसके लिए शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-

1. प्रतिभूति राशि जमा करवाए बिना कोई भी व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि बोली में भाग नहीं ले सकता।
2. सफल बोलीदाता को तम्बोला के संचालन के लिए बोली की गई राशि दिनांक:- 01/06/2019 को प्रातः 11 बजे तक जिला रैडकॉस सोसायटी शिमला के कार्यालय/बैंक खाता में जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी तथा तम्बोला का आवंटन 2<sup>nd</sup> highest के पक्ष में किया जाएगा। सफल बोलीदाता व 2<sup>nd</sup> highest के द्वारा बोली गई राशि का अन्तर 30 हजार से अधिक होना चाहिए अन्यथा तम्बोला का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
3. तम्बोला संचालन से सम्बन्धित सभी प्रकार के व्यय आवंटित व्यक्ति/संस्था को करने होंगे व समस्त विभागीय अनुमतियां स्वयं प्राप्त करनी होंगी।
4. आवंटित व्यक्ति/संस्था की प्रतिभूति राशि 8/06/2019 के पश्चात वापिस की जाएगी।
5. ध्वनि हेतु बोलीदाता को स्वयं सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना0) से अनुमति लेनी होगी तथा ध्वनि सीमा की उल्लंघना करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसे आगामी वर्षों में तम्बोला संचालन में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
6. न्यूनतम बोली मु0 2 लाख रुपये से आरम्भ होगी तथा सफल बोली दाता को पिछले 2 वर्षों की आयकर रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व संचालन 2<sup>nd</sup> highest को आवंटित किया जाएगा।
7. उक्त प्रक्रिया में उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रैडकॉस सोसायटी शिमला का निर्णय अन्तिम माना जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी मामला/ विवाद शिमला में स्थिति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

  
उपायुक्त एवं अध्यक्ष  
जिला रैडकॉस सोसायटी  
जिला शिमला।